

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी वायतु

नदालत.....

जिला-बाडमेर

मुकाम.....

हुंकाराम कोरा

बनाम.....

विमलराम वर्मा

किस्म मुकदमा.....

राज आर्केन

नं.

357/2022

सन

2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/9/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>विमलराम वर्मा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/10/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी वायतु जिला-बाडमेर</p>	
11/10/2022	<p><u>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी</u></p> <p><u>को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवादी</u></p> <p><u>गए जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई</u></p> <p><u>है अतः जवाब पत्रावली काईल</u></p> <p><u>दिनांक - 27/10/2022 को पेश की।</u></p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी वायतु जिला-बाडमेर</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/10/2022

प्रार्थी तहसील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये जिनको करीब दो माह हो चुके है लेकिन विप्रार्थीगण की ओर से बावजूद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिवक्ता बायतु  
जिला-घाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड  
क : बाद / 2022 / 1320  
प्रार्थी

1. डुंगाराम पुत्र वेनाराम वगैरे  
जाति जाट, निवासी धर  
पटवार मण्डल बायतु  
तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1320

दिनांक : 27/10/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. डुंगराराम पुत्र चैनाराम वगैरा 04,  
जाति जाट, निवासी धतरवालों का नगर,  
पटवार मण्डल बायतु भोपजी,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. चिमाराम पुत्र आदुराम वगैरा 33,  
जाति जाट, निवासी धतरवालों का नगर,  
पटवार मण्डल बायतु भोपजी,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 357 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - पुरखोणी धतरवालों की ढाणी, पटवार मण्डल - बायतु भोपजी, तहसील - बायतु के खेत खसरा नं. 609 रकबा 4.5223 हैक्टर व मौजा - धतरवालों का नगर, पटवार मण्डल - बायतु भोपजी, तहसील - बायतु के खेत खसरा नम्बर 414, 430 रकबा क्रमशः 8.2923, 5.4769 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1321-1325

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री डुंगराराम पुत्र चैनाराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री चिमाराम पुत्र आदुराम वगैरा 33,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/10/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर